

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अन्तर्गत तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)/ तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/लेखा सहायक/कम्प्यूटर सहायक की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु

॥ आम सूचना ॥

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची के अधिसूचना संख्या-4-1002 (MGNREGA) /2012/ग्रा0वि0 के ज्ञापांक 6440/दिनांक 17.07.2012 एवं ज्ञापांक 6718/ दिनांक 28.07.2012 के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण अभिकरण, गोड्डा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पद की स्वीकृति के पश्चात् स्वीकृत पद के आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार अनारक्षित/ आरक्षित रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्णतया संविदा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु मेधा सूची तैयार करने के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक-14/स्थानीय नीति-14-04/2008 का. 3854/ राँची, दिनांक 01.06.2018 के द्वारा परिभाषित स्थानीयता नीति के आधार पर वर्ग-02 के लिये झारखण्ड एवं वर्ग-03 के लिये जिले के स्थानीय निवासियों को नियुक्त करने संबंधी निदेश प्राप्त है ।

पदों की संख्या-रिक्त पदों के विरुद्ध के कोटिवार विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्र० सं०	पद का नाम	अनारक्षित	अ०ज०जा०	अ०जा०	अत्य०प०व०	पि०वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	03	01	00	01	00	05
2	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	09	05	02	01	01	18
3	लेखा सहायक	02	02	00	00	01	05
4	कम्प्यूटर सहायक	02	02	00	00	01	05
कुल संख्या :-		16	09	03	02	03	33

नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं :-

- वर्ग-02 के लिये तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) एवं वर्ग-03 के लिये तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक की सेवा पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी तथा अस्थायी होगी । नियमावली के परिशिष्ट I एवं II में ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा ।
- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक -7/आ० नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.-3198, दिनांक 18.04.2016 एवं संकल्प ज्ञापांक-15/नीति नि०-07-10/2016 का.-1065/ राँची, दिनांक 02.02.2017 के आलोक में वर्ग-02 के लिये झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी ही योग्य होंगे । साथ ही वर्ग-03 के लिये गोड्डा जिला के निवासी मान्य होंगे तथा अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून स्तर से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।

3. यदि कोई कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी । इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे । परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी ।
4. वर्ग-02 के लिये तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) एवं वर्ग-03 के लिये तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पद, जिनके नियुक्ति पदाधिकारी उपायुक्त, गोड्डा हैं । नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी के कार्यों की वार्षिक समीक्षा उपायुक्त, गोड्डा करेंगे तथा आवश्यकता अनुरूप यदि उनके द्वारा यह समुचित समझा जायेगा तो नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी का पदस्थापन स्थल में परिवर्तन कर सकेंगे ।
5. अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा । उसे आवेदन के साथ यह शपथ-पत्र देना होगा की झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है । यदि उनका यह शपथ-पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।
6. वर्ग-03 में तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद हेतु निःशक्ता (दिव्यांग) अभ्यर्थी के लिये किसी भी कोटि का एक पद आरक्षित होगा । अभ्यर्थी द्वारा निःशक्ता (दिव्यांग) संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित प्रपत्र (अनुबन्ध-1) पर आवेदन के साथ संलग्न कर देना अनिवार्य होगा । नियुक्ति से संबंधित सभी आवश्यक दिशा-निर्देश एवं निःशक्ता (दिव्यांग) संबंधी प्रपत्र इस जिले के वेबसाईट **www.godda.nic.in** पर उपलब्ध है ।
7. आरक्षण – अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर गोड्डा जिला के तत्समय निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा । आवश्यकता एवं रिक्ति के अनुसार संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।
8. मेधा सूची – जिला से तैयार मेधा सूची की अवधि 02 वर्ष की होगी एवं प्रतीक्षा सूची के लिये स्वीकृत आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा ।
9. आयु सीमा (31.08.2018 को) : न्यूनतम 18 वर्ष
अधिकतम आयु सीमा :
(क) अनारक्षित : 35 वर्ष
(ख) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग : 37 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा) : 38 वर्ष
(घ) अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जनजाति (पु0 एवं म0) : 40 वर्ष
10. राष्ट्रियता : आवेदक भारत का नागरिक हो ।
11. परिलब्धि :- ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार का नियमावली संकल्प ज्ञापांक 2369/ दिनांक 30.09.2016 के आलोक में निम्न पदों के लिये मानदेय इसप्रकार है :-

क्र० सं०	पद का नाम	मासिक परिलब्धि
1	2	3
1	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	₹ 19234/-
2	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	₹ 17520/-
3	लेखा सहायक	₹ 10000/-
4	कम्प्यूटर सहायक	₹ 10000/-

12. तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता :

(क) अनिवार्य योग्यता :

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०ई० या बी०टेक० अनिवार्य योग्यता होगी ।

(ख) अतिरिक्त योग्यता :

a. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम०टेक० / पी०जी०डी०सी०ए० / एम०एस०सी० कम्प्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी ।

b. एम०सी०ए० / एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यता समझा जायेगा तथा तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे । पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा ।

13. तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता :

(क) अनिवार्य योग्यता :

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी ।

(ख) अतिरिक्त योग्यता :

a. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०टेक० / बी०ई० / बी०सी०ए० / बी०एस०सी० कम्प्यूटर / बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए० / पी०जी०डी०सी०ए० / एम०एस०सी० कम्प्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी ।

b. बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर को बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के लिए उनके प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा ।

c. एम०सी०ए० / एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यता समझा जायेगा तथा तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे । पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा ।

14. लेखा सहायक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता :

(क) अनिवार्य योग्यता :

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी० कॉम आनर्स या सामान्य बी०कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी०कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात् एम० कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे, परंतु बी०कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी०कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा ।

(ख) अतिरिक्त योग्यता :

a. सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम० कॉम, बी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० / पी०जी०डी०सी०ए० / एम०एस०सी० अतिरिक्त योग्यता होगी ।

b. एम०सी०ए० / एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यता समझा जायेगा तथा तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे । पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा । जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा ।

15. कम्प्यूटर सहायक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता :
- (क) अनिवार्य योग्यता :
- (I) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे ।
- बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स
 - बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य
 - बी0सी0ए0
 - सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण ।
- (II) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा । वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा ।
- (ख) अतिरिक्त योग्यता :
- सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी ।
 - एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यता समझा जायेगा तथा तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे । पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा । जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा ।
16. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों/ जाति एवं निवासी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।
17. ऑनलाईन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा । आवेदक द्वारा दिनांक . .2018 से दिनांक . .2018 के अपराहन 05:00 बजे तक वेबसाईट <http://www.applyrdd.jharkhand.gov.in> पर ऑन लाईन आवेदन किया जायेगा । आवेदन शुल्क की राशि मो0 100/- रु0 है, जो ऑनलाईन भुगतान करना अनिवार्य होगा ।
18. अभ्यर्थियों का अंतिम चयन दक्षता परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा ।

नोट : यह नियुक्ति केवल झारखण्ड राज्य एवं उसके संबंधित जिलों के लिये लागू होगा । किसी अन्य राज्य से आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे ।

ह0/-

उप विकास आयुक्त-सह
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गोड्डा ।

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. :

तारीख :

निःशक्तता प्रमाण-पत्र



चिकित्सा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु लिंग पहचान
चिन्ह निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त -

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(I). दोनों टांगे (बी एल)- दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(II). दोनों बाहें (बी एल)- दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(III). दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) - दोनों टांगे और बाहें प्रभावित

(IV). एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V). एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI). पीठ और नितम्ब (बी एच)- पीठ और नितम्ब में कड़ापन

(बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII). कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक
सहनशक्ति ।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(I). बी-अंधापन

(II). पी बी -आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(I). डी - बधिर

(II). पी डी -आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।वर्षों.....महिनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है :-

(I) एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है। हाँ/नहीं

(II) पी पी - धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(III) एल- उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(IV) के सी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(V) बी -झुक कर कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(VI) एस- बैठकर कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(VII) एस टी - खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(VIII) डब्ल्यू- चलते हुए कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(IX) एस ई - देख कर कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(X) एच- सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(XI) आर.डब्ल्यू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(डॉ.....)

(डॉ.....)

(डॉ.....)

सदस्य

सदस्य

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,

(मुहर सहित)

➤ जो लागू न हो काट दें ।